प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 18.11.2024

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा वाहन चोर 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की एक मोटरसाईकिल बरामद।

आज दिनांक 18.11.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोर 02 अभियुक्त 1. कासिम पुत्र इंसाद अली निवासी पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष 2. इसराईल पुत्र यासीन नि0 खानका वाली गली थाना ट्रोनिका सिटी कमि0 गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष को चोरी की एक मोटरसाईकिल के साथ घिटोरा कट से घिटोरा गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। उक्त वाहन की चोरी के सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तों ने पूछने पर बताया कि इस मोटर साईकिल को हमने 02 हफ्ते पहले अंसल कालोनी ट्रोनिका सिटी से चोरी किया था। आज इसे बेचने के लिये निकले थे कि पुलिस चेकिंग में पकडे गए।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता-

1. कासिम पुत्र इंसाद अली निवासी पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र 23 वर्ष

2. इसराईल पुत्र यासीन नि0 खानका वाली गली थाना ट्रोनिका सिटी कमि0 गाजियाबाद, उम्र 23 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग

थाना ट्रोनिका सिटी पर वाहन चोरी करने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरणः-

चोरी की एक मोटरसाईकिल बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम

थाना लोनी पुलिस द्वारा मारपीट कर एक-दूसरे पर जान से मारने की नियत से हमला कर आसपास के लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले 08 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 17.11.2024 को थाना लोनी पुलिस को चौकी क्षेत्र अशोक विहार के मौहल्ला आशियाना सिटी में दो पक्षों के आपस में मारपीट कर जान से मारने की नियत से लाठी डण्डो आदि से एक दूसरे पर हमला कर आसपास के लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने आदि की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल थाना स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शांति-व्यवस्था बनाई गई तथा घटना कारित करने वालों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

दिनांक 17.11.2024 की रात्रि में थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त 1. मोईन पुत्र मोमीन निवासी आशियाना सिटी अशोक विहार लोनी गाजियाबाद उम्र 45 वर्ष 2. आबाद पुत्र छंगा निवासी उपरोक्त उम्र 35 वर्ष 3. फरियाद पुत्र छंगा निवासी हाजी कालोनी गोरी पटटी लोनी गाजियाबाद उम्र 40 वर्ष 4. वसीम पुत्र यामीन निवासी प्रेमनगर लोनी गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष 5. मोमीन पुत्र यामीन निवासी प्रेमनगर लोनी गाजियाबाद उम्र 32 वर्ष व आज दिनांक 18.11.2024 को सुबह अभियुक्त 1. अली पुत्र मोमीन निवासी आशियाना सिटी लोनी उम्र 18 वर्ष 2. अफसाना पत्नी मोमीन उम्र 42 वर्ष निवासी आशियाना सिटी अशोक विहार लोनी गाजियाबाद 3. अंजुम पुत्री मोमीन उम्र 24 वर्ष निवासी उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि आबाद के भतीजे फेज उम्र 02 वर्ष को मोईन के टैम्पो से टक्कर लगने के कारण हम दोनो पक्षों में विवाद उत्पन्न हुआ जिसमें हम दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से हमला कर दिया जिससे आसपास के लोगों की संपत्ति (मो0सा0 आदि की तोडफोड) को नुकसान हुआ । गिरफ्तारी से बचने के लिये हम लोग मोहल्ला आशियाना सिटी टंकी वाले रास्ते पर कही जाने की फिराक में खडे थे कि आपने हमें पकड लिया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता</u>

1. मोईन पुत्र मोमीन निवासी आशियाना सिटी अशोक विहार लोनी गाजियाबाद, उम्र 45 वर्ष
2. आबाद पुत्र छंगा निवासी आशियाना सिटी अशोक विहार लोनी गाजियाबाद, उम्र 35 वर्ष
3. फरियाद पुत्र छंगा निवासी हाजी कालोनी गोरी पटटी लोनी गाजियाबाद, उम्र 40 वर्ष
4. वसीम पुत्र यामीन निवासी प्रेमनगर लोनी गाजियाबाद, उम्र 26 वर्ष
5. मोमीन पुत्र यामीन निवासी प्रेमनगर लोनी गाजियाबाद, उम्र 32 वर्ष
6. अली पुत्र मोमीन निवासी आशियाना सिटी लोनी उम्र 18 वर्ष
7. अफसाना पत्नी मोमीन निवासी आशियाना सिटी अशोक विहार लोनी गाजियाबाद, उम्र 42 वर्ष
8. अंजुम पुत्री मोमीन निवासी आशियाना सिटी अशोक विहार लोनी गाजियाबाद, उम्र 24 वर्ष

<u>आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग</u>

अभियुक्तों के विरुद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम</u>

थाना लोनी पुलिस टीम

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 17/18.11.2024 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा रात्रि में चेकिंग के दौरान गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्त नवाब खाँ उर्फ नवाब खान उर्फ गुलशन पुत्र अब्दुल वहीद निवासी म0न0 126 हरमुखपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 47 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण -</u>

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैंने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एक गैंग बना रखा है। हम सभी लोग मिलकर फर्जी कागजात तैयार कर धोखाधडी जैसे अपराध कारित करते हैं।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-</u>

नवाब खाँ उर्फ नवाब खान उर्फ गुलशन पुत्र अब्दुल वहीद निवासी म0न0 126 हरमुखपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 47 वर्ष

<u>आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग</u>

अभियुक्त नवाब खाँ उर्फ नवाब खान उर्फ गुलशन उपरोक्त पर थाना मोदीनगर पर धोखाधड़ी संबंधी 05 आपराधिक मामले व थाना टीला मोड पर धोखाधड़ी संबंधी 01 आपराधिक मामला दर्ज है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम -</u>

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशादेही से चोरी की एक रूद्राक्ष माला, एक चैन, एक ब्रेसलेट, 05 अंगूठी व एक लॉकेट बरामद।

दिनांक 04.10.2024 को वादी द्वारा थाना लोनी बोर्डर पर एक तहरीर अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर से पांच अंगूठी, दो सोने की रुद्राक्ष चैन, एक बडी चैन, एक कडा, एक ब्रेसलेट, एक लॉकेट एवं कुछ कैश चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में दाखिल की थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बोर्डर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

दिनांक 17.11.2024 को थाना लोनी बोर्डर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना में प्रकाश में आये अभियुक्त आसिफ पुत्र हसीमुद्दीन निवासी राम मोहल्ला गली नं0 1 जौहरीपुर थाना गोकुलपुरी दिल्ली को हिरासत में लेकर अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अदद रूद्राक्ष की माला पीली धातु, 01 अदद चैन पीली धातु, 01 अदद ब्रेसलेट पीली धातु, 05 अदद अंगूठी पीली धातू, 01 लॉकेट पीली धातु बरामद हुये। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरणः-</u>

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि साहब ये सामान जो मुझसे बरामद हुए है ये दिनांक 03.10.2024 को मैनें जलवाले मन्दिर के सामने वाले घर में चोरी की थी। दिनांक 06.10.2024 को पुलिस ने मुझे पकड लिया तब मैनें उन्हें बताया कि चोरी का माल मेरे कमरे में रखा है। इस पर पुलिस वाले मुझे अपने साथ मेरे कमरे पर ले गये तो उनसे मैनें माल छज्जे की तरफ रखा होने का इशारा कर बाहर चलने को कहा फिर मैनें भागने की नियत से घर के पास खडे पेड पर छलांग लगा दी। लेकिन पेड से मकान की उंचाई ज्यादा होने के कारण मैं पेड की डाल नहीं पकड पाया और नीचे गिर गया जिससे मुझे काफी चोट आयी। पुलिस द्वारा मुझे तत्काल जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराकर मेरा इलाज कराया। उसके बाद मेरे परिजन ने मेरा इलाज गोपाल अस्पताल में करा रहे थे। आज मेरी अस्पताल से छुट्टी हो गयी है अब मैं ठीक हूँ साहब मुझसे गलती हो गयी है मुझ पर पहले से चोरी, हत्या व गैंगस्टर के मुकदमें हैं और मैं नशे का आदी हूँ। मेरे मुकदमों की पैरवी व नशे में काफी रूपये खर्च हो जाते हैं। नशे की लत के कारण मैं कोई काम भी नहीं करता हूँ। मैंने लालच में आकर जलवाले मन्दिर के पास से चोरी की थी और भागने की भी कोशिश की इसके बावजूद मुझे चोट लगने पर पुलिस द्वारा इलाज हेतु अस्पताल ले जाकर मेरा इलाज कराया और मेरी जान बचायी है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता –</u>

आसिफ पुत्र हसीमुद्दीन निवासी राम मोहल्ला गली नं0 1 जौहरीपुर थाना गोकुलपुरी दिल्ली, उम्र करीब 27 वर्ष

<u>आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग</u>

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में थाना लोनी बोर्डर पर 01 तथा पूर्व में चोरी का 01 मुकदमा तथा 01 मुकदमा हत्या तथा 01 मुकदमा गैंगस्टर एक्ट का पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम –</u>

थाना लोनी बोर्डर पुलिस टीम।

थाना सिहानी गेट पुलिस टीम द्वारा लूट करने वाले 02 शातिर अभियुक्तों को लूटे गये माल(कीमत लगभग 4.5 लाख रुपये) से भरी गाड़ी (छोटा हाथी) व घटना मे प्रयुक्त ईको गाडी सहित गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 15.11.24 को विकास मित्तल पुत्र सत्य नारायण गुप्ता निवासी 375, गली नया बास खारी बावली दिल्ली ने सूचना दी कि दिनांक 14.11.2024 को कुछ अज्ञात व्यक्ति ने हमदर्द चौराहे के पास तमन्चे के बल पर मेरा जडी-बुटी से लदा हुआ छोटा हाथी व मोबाईल लूट कर भाग गए हैं। इस सूचना पर थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस टीम, मुखबिर की सूचना व लोकल इनपुट के आधार पर लूट करने वाले 02 शातिर अभियुक्त नवीन व राकेश को मय लूटा गया छोटा हाथी को भरे हुए माल व घटना मे प्रयुक्त ईको कार सहित डीपीएस कट मेरठ चौराहा से किया गिरफ्तार।

<u>पूछताछ का विवरण</u>

अभियुक्त नवीन व राकेश ने पूछने पर बताया कि हम नशा करने के आदी है। अपनी नशे की जरूरतों को पूरा करने के लिए हम देर रात सुनसान जगहों पर जाते हुए लोगो से तमंचा दिखाकर गाडी को टारगेट करके गाडी ,सामान आदि लूट या छीन लेते है ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता</u>

1- नवीन कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी बी 128 करावल नगर गली नं0 10 निकट विजयदीप पब्लिक स्कूल थाना करावल नगर दिल्ली उम्र 31 वर्ष
2- राकेश उर्फ बिट्टू पुत्र रतन सिंह निवासी म0न0 20/4 गली नं0 04 वेस्ट कमल विहार नियर लाल बाग मण्डी करावल नगर थाना करावल नगर दिल्ली उम्र 52

<u>बरामदगी विवरण-</u>

1- ईको कार (घटना मे प्रयुक्त)
2- एक गाडी (छोटा हाथी) मय 30 नग(27 बोरे व 03 कॉटून गत्ता) जड़ी-बूटी

<u>आपराधिक इतिहास</u> –

अभियुक्तगण राकेश उर्फ बिट्टू के विरूद्ध पूर्व में लूट के 02 अभियोग दिल्ली में पंजीकृत है।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम</u>

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा मृतक लाल सिंह की हत्या करने वाले गिरोह के 02 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड के दौरान अवैध शस्त्र के साथ किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस , 01 खोखा कारतूस व 01 मोटरसाइकिल चोरी की बरामद।

दिनांक 15/16.10.2024 की रात्रि में थाना कोतवाली नगर पर हिन्द कॉलोनी चौकी सिविल लाइन क्षेत्रान्तर्गत रेलवे लाइन पर अज्ञात शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई जिसमें स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पंहुचकर नियमानुसार उक्त अज्ञात शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा आदि की कार्यवाही करते हुए शव की शिनाख्त हेतु प्रयास किये गये किन्तु नियत समय में मृतक अज्ञात की शिनाख्त न होने के कारण विधि अनुसार अज्ञात शव का पोस्टमार्टम कराते हुए अन्तिम संस्कार की कार्यवाही की गयी। दिनांक 06.11.2024 को श्री परमात्मा प्रसाद पुत्र गुज्जू प्रसाद निवासी प्रहादगढ़ी थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद द्वारा उक्त अज्ञात शव की शिनाख्त अपने पुत्र लाल सिंह उम्र करीब 26 वर्ष के रूप में करते हुए शक के आधार पर लम्बू, गुड्डू व टीटू के विरुद्ध लाल सिंह की पत्नी प्रियंका को गायब करने एवं लाल सिंह की हत्या कर साक्ष्य को मिटाने के सम्बन्ध मे थाना कोतवाली नगर पर तहरीर दी गई। कोतवाली नगर पुलिस द्वारा जांच उपरान्त हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 17.11.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा हत्या करने वाले अभियुक्तों की तलाश हेतु टीमों का गठन कर शिव मन्दिर हिन्द नगर के पास चैकिंग की जा रही थी। उसी दौरान बिना नम्बर प्लेट मोटर साईकिल पर दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिये चैकिंग कि लिये रोका गया तो मोटर साइकिल पीछे मोड़ कर भागने लगे जिससे मोटर साइकिल फिसल गई तथा दो व्यक्ति मोटर साइकिल छोडकर झाडियों में भाग गये शक बदमाश होने पर पीछा किया गया तो अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया जवाबी कार्यवाही में अभियुक्त अनिल यादव उर्फ लम्बू के दाहिने पैर मे गोली लग गयी तथा मौके पर 01 तंमचा 315 बोर व 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर व चोरी की मोटर साइकिल बरामद हुई है। तथा अन्य पुलिस कर्मी की मदद से अभियुक्त नईम को मौके से गिरफ्तार किया गया । पूछताछ पर अभियुक्त अनिल यादव उर्फ लम्बू व नईम के मृतक लाल सिंह उम्र करीब 27 वर्ष की हत्या करने का जुर्म का इकबाल किया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्त

1- अनिल यादव उर्फ लम्बू पुत्र केशव सिंह निवासी सुन्दरपुर थाना रिजोर जनपद एटा उ0प्र0 उम्र करीब 26 वर्ष
2- नईम पुत्र बजीद मियां निवासी हरीपुर धर्मपुर थाना सिकता जिला बतिया बिहार हाल निवासी विजयनगर गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अभियुक्त अनिल यादव उर्फ लम्बू

कमिश्नरेट गाजियाबाद मे 01 अभियोग हत्या का , जनपद एटा मे 01 अभियोग महिला के साथ मारपीट, छेडछाड 01 अभियोग एससी/एसटी का कुल 03 अभियोग पंजीकृत ।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तगण अनिल यादव उर्फ लम्बू ने बताया कि हम लोगो द्वारा मृतक लाल सिंह एवं अभियुक्तगण गुड्डू, नईम व मृतक की पत्नी प्रियंका सभी गिरोह बनाकर उड़ीसा से गुड्डू के लिए मादक पदार्थ की तस्करी करते थे उसी दौरान अभियुक्त गुड्डू व मृतक लाल सिंह के मध्य विवाद होने के कारण मृतक लाल सिंह द्वारा अभियुक्त गुड्डू का करीब 60 लाख रुपया का माल(मादक पदार्थ) मुखबिरी करके नोएडा पुलिस को पकड़वा दिया था जिस कारण विवाद और बढ़ने पर एक-दूसरे को जान से मारने की धमकियाँ आदि भी दी गयी उसी क्रम में अभियुक्त गुड्डू द्वारा योजनावद्ध तरीके से हम दोनो के साथ मिलकर मृतक लाल सिंह को दिनांक 15.10.2024 को नईम के किराये के मकान विजयनगर गाजियाबाद से रेलवे लाइन के किनारे ले गये और जहाँ पर अभियुक्त गुड्डू जो पूर्व नियोजित तरीके से झाड़ियों में छिपा हुआ था ने मृतक लाल सिंह के पैरों में जोर से प्रहार किया जिससे वह गिर गया और इसके बाद हम दोनो के सहयोग से गुड्डू ने मिलकर मृतक लाल सिंह उपरोक्त की गला दबाकर हत्या कर दी एवं साक्ष्य मिटाने की नियत से मृतक के शव को थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत हिन्द नगर कालोनी के पास रेलवे लाइन पर रख दिया और ट्रेन गुजरने तक इन्तजार किया घटना को योजनावद्ध तरीके से अंजाम दिया । इसके पश्चात मुझ अनिल यादव द्वारा मृतक लाल सिंह की पत्नी प्रियंका जो मादक पदार्थ की तस्करी में संलिप्त थी को उड़ीसा से द्वारा फोन बुलाया और दिनांक 19.11.2024 को शाम 17.30 पर शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन से रिसीब कर मोटर साइकिल पर बैठाकर शिकोहाबाद एवं एटा मार्ग पर पड़ने वाली खड़ीत नहर के पास अपनी मोटर साइकिल रोक कर प्रियंका से कहा कि मैने , नईम व गुड्डू ने तेरे पति लाल सिंह की हत्या कर शव को रेलवे लाइन पर फैंक दिया था अब तू चाहे तो मेरे लिए रह सकती है इस बात पर प्रियंका आग बबूला हो गयी और बोली कि मैं अब तुम तीनों के खिलाफ रिपोर्ट करूंगी, रिपोर्ट के डर से मैने खड़ीत नहर के पुल के पास से नहर के किनारे जाने वाले कच्चे रास्ते पर ही साढ़े सात-आठ बजे करीब प्रियंका की गला दबाकर हत्या कर साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से प्रिंयका के शव को उक्त नहर में फैंक दिया था मुझे जानकारी थी कि उक्त नहर काफी गहरी है और मगरमच्छ आदि भी है और मैने कई बार ऐसा देखा व सुना है कि इसमें खड़ी बस भी नहीं दिखाई देती है मैं वहीं का रहने वाला हूँ।

बरामदिगी:-

1- 01 तमंचा
2- 01 जिन्दा कारतूस
3- 01- खोखा कारतूस
4- 01 चोरी की मोटरसाइकिल

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम